

कार्यालय,

अधिव. प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय शीप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ/प्र लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ/प्र लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2120-LOTUS INSTITUTE OF PHARMACY,16 KM,BAREILLY-LUCKNOW ROAD,PO. RAJAU,BAREILLY-243123

| क्र०सं० | पाठ्यक्रम का नाम | ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021- 22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | DIPLOMA IN PHARMACY | 60 | 60 |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश पत्राची होंगे, और तदुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।



- ✓ संस्था को (3000) प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना। वित्तियमानुवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सब हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 3000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3000 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3000 द्वारा बनाये गये नियमों, वित्तियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश न्यायनरु द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत लघुतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैजिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मातकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(सुनील कुमार सोलंकर)

सचिव

दिनांक: 09/08/2021

पू०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

प्रतिशिष्टि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक LOTUS INSTITUTE OF PHARMACY, 16 KM, BAREILLY-LUCKNOW ROAD, P.O.
RAJAU, BAREILLY-243123



(सुनील कुमार सोलंकर)

सचिव



कार्यालय,

राज्य, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2022/9755

संयोजक दिनांक: 10/10/2022

आवृत्त संख्या:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली-राज्यीय कार्यालय ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु द्वितीय स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 10/10/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संवहृत हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अर्हतिगत नई संस्थाओं को सम्बद्धता एवं संस्थागत संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/सादृश्यता प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सदी पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निम्न संस्था के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सादृश्यता एवं उसी अर्हतिगत प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2126-LOTUS INSTITUTE OF PHARMACY

| क्रमांक | संस्था का नाम | ए0आइ0पी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | DIPLOMA IN PHARMACY | 60 | 60 |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आइ0पी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनवली 1992, विनियमनवली-2000, सेमेस्टर विनियमनवली-2016 तथा सम्प्र-सम्प्र पर निर्मित साक्ष्यपत्रों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय (तीन) पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,1,00,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय (दो) वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यवाही पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-225,00,00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रिका से संग्रहित किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्रिकाओं से शुल्क के सम्बन्ध में उत्तर-समय पर सामान द्वारा निर्मित किये जाने वाले साक्ष्यपत्र प्रकाशी होगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। विश्व शिक्षण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु बीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो बीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को उत्तर-समय पर निर्मित साक्ष्यपत्रों के अनुवाद निर्दिष्ट एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित विधिमिथ्या/अधिनियम/साक्ष्यपत्र/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार एवं विद्यार्थी, विनियम, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्था का ए0आइ0पी0टी0ई0/पी0सी0आई0 में अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संस्था में सम्प्रत उत्तरदायित्व संस्था का होगा और शिक्षक एवं से कितनी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई कदम दायर किया जाता है तथा दायर कदम के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो सम्प्रत प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करना होगा।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आइ0पी0टी0ई0/पी0सी0आई0 में अनुमोदन प्रदान कर परिषद कार्यालय को उपसब्ध कराना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर) प्रवेश अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।



- ✓ अगर चर्चा सरकार द्वारा खरीद हेतु समझौता पर निरंतर सौजन्य आवेदन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक है।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाओं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टॉक, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुनक, उपकरण सुनक आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ रेजिमेंट टाउन के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित हो ले कि संस्था में परम्परागत संप्रसारित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख भूमि-आवक, कारीगर, उपकरण आदि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है तो परिषद को इसकी जानकारी होनी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औपचारिक निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एडवाइजरी/सीटी/डी/पी/सी/आई/परिषद के समक्ष/द्वारा उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता हटाने का अनुपालन न किये जाने अथवा नहीं का इलाज/निर्णय किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(Signature)
(एफओआरओ खान)

सचिव

दिनांक: 10/10/2022

पृष्ठ- परिषद/परिषद सम्बद्धता/2022/9756-8830

प्रतिनिधि-

एडवाइजरी/सीटी/पी/सी/आई/परिषद LOTUS INSTITUTE OF PHARMACY



(Signature)
(एफओआरओ खान)

सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविप/परिषद सन्बद्धता/2023/12090001

संखनउ: दिनांक: 12-09-2023

कार्यालय नमः:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी कन्वन्शन और इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, फार्मसी कन्वन्शन और इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुकूल में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2120-LOTUS INSTITUTE OF PHARMACY

| क्र०सं० | पाठ्यक्रम का नाम | ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | DIPLOMA IN PHARMACY | 60 | 60 |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3099/9/2022 टी०सी०-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित समस्त संस्थाओं की ओर से प्रिस्ट भारतीय न्यायालय में दायित्व रिट प्राविधिक संख्या 5027/2023 में संपत्तीय न्यायालय के अतिरिक्त निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी कन्वन्शन और इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी कन्वन्शन और इंडिया, नई दिल्ली के आगक के अनुरूप संस्थान में समस्त सहायक (अग्नि, अयन, जैव उपकरण) आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमधारी 1982, विनियमधारी-2000, रजिस्ट्रार विनियमधारी-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से वसूल किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश पढाये होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। किरा निश्चयन समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु किरा का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो किरा की सर्वोच्चतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छत्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिविधायक/अधिविधायक/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये



साध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/राज्यीय कौशल शिक्षा और इंडिया, लंदे टिन्नी से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संघ में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद्, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई काद टाकर किया जाता है तब टाकर प्राद के संबंध में जो न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निगत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु अद्वितीय फॉर्म होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/राज्यीय कौशल शिक्षा और इंडिया, लंदे टिन्नी से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद् कार्यलय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु संबंध-संबंध पर निम्न लघुवस्तु असाधारण विधियों का अनुमोदन करना साध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के युगायुक्त पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिक्रिया हेतु उपयुक्त माता-पिता उपलब्ध करने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/आयोजित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-समान, फनीयर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समितियाँ और उपसमितियाँ, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाता) विनियमावली, 2000 के परिधानानुसार परिषद् की भांग पर अपने कार्यवाही, अर्जत और फनीयर को परिषद् को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद् के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था को औद्योगिक स्तरों पर निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सज-सज्जा एवं/अर्जत/औद्योगिक/औद्योगिक/औद्योगिक/औद्योगिक/औद्योगिक के माता-पिता उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पू०सं०- प्राशिप/परिषद् सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिलिपि-

प्रधानाध्याय/निदेशक, LOTUS INSTITUTE OF PHARMACY



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव